रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 5] नई दिल्ली, जनवरी 29—फरवरी 4, 2012, शनिवार/माघ 9—माघ 15, 1933

No. 5] NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2012, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1933

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 30.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी) भर्ती संशोधन नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 में,—

(i) नियम 2 में, ''वेतनमान'' शब्दों के स्थान पर, ''वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड-3, (रु. 15600—39100) + ग्रेड वेतन रु. 5400	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति** : वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4600 रु. में ऐसे संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(11)

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)–

केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वशासी या कानूनी या अर्ध-सरकारी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन, 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है :–

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या यांत्रिक या विद्युत या स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी में डिप्लोमा; और

(ii) कार्यालय भवन जिसके अंतर्गत स्वच्छता प्रतिष्ठापन, वातानुकूलन उपस्कर और विद्युत प्रतिष्ठापन भी है, के अनुरक्षण और रखरखाव में पांच वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या

(11)
वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :— (i) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष (ii) सचिव/अपर सचिव (प्रशासन, सामान्य), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य (iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन)/उप सचिव (सामान्य), संघ लोक सेवा आयोग —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 39021/01/2005-स्था.(ख)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 238, तारीख 17 नवंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Amendment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission (Senior Estate Manager and Meeting Officer) Recruitment Rules, 2007,—

(i) in rule 2, for the words "scale of pay", the words "pay band and grade pay or pay scale" shall be substituted;

(ii) for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Estate Manager and Meeting Officer	1*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, (Rs. 15600—39100) puls Grade Pay Rs. 5400	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Promotion failing which by deputation (including short term contract).	**Promotion :** Estate Manager and Meeting Officer in the Pay Band-2 (Rs. 9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4600 with three years regular service in the grade. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. Deputation (including short term contract) Officers of the Central or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognized Research Institutions or Autonomous or Statutory or Semi-Government Organizations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-2

(11)

(Rs.9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-2 (Rs.9300-34800) plus Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:—

(i) Diploma in Civil or Mechanical or Electrical or Sanitary or Public Health Engineering from a recognized University or equivalent; and

(ii) five years' experience in the upkeep and maintenance of office buildings, including sanitary installations, air-conditioning equipments and electrical installations.

Note 1 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.

Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): (i) Chairman/Member, Union Public Seervice Commission —Chairman (ii) Secretary/Additional Secretary (Administration, General), Union Public Seervice Commission —Member (iii) Joint Secretary (Administration)/Deputy Secretary (General) Union Public Seervice Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion".

[F. No. 39021/01/2005-Estt.(B)]
RAKESH MOZA, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 238, dated the 17th November, 2007.

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई समूह ''ग'' पद भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई, समूह ''ग'' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग, बढ़ई, समूह ''ग'' पद भर्ती नियम, 2000 में,—

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

''2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।'';

(ii) विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

''अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बढ़ई	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैण्ड-1, (रु. 5200—20200) रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके आयु 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने